13
14

न्यायालय उपखण्डाधिकारी, नगर (जिला भरतपुर)

पत्रावली संख्या - 5/2013 दायर दिनांक - 5-7-13

उनवान - रूपसिंह पुत्र रामखिलौना जाति जाट निवासी मानौता कलां तहसील नगर जिला भरतपुर — प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नगर — अप्रार्थी

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

पीठासीन अधिकारी - घनश्याम अग्रवाल, उपखण्डाधिकारी नगर

वकील प्रार्थी - श्री गजेन्द्र सिंह एडवोकेट

प्रतिनिधि सरकार - नायब तहसीलदार नगर

निर्णय

दिनांक - 8.8.2013

पत्रावली पेश हुई। आद्योपान्त सावधानीपूर्वक अध्ययन किया व मनन किया। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रूपसिंह पुत्र रामखिलौना जाति जाट निवासी मानौता कलां ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 इस आशय का पेश किया कि ग्राम मानौता कलां की गत बन्दोबस्ती आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 7-07 बीघा का 1/2 हिस्सा उसने, रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ जाति कोली निवासी मानौता कलां से उपपंजियक नगर से क्रमांक 13 दिनांक 12.1.76 पंजीबद्ध विक्रयपत्र द्वारा क्रय किया था। यह भूमि रिकॉर्ड में जगन्नाथ वल्द भूला के नाम दर्ज थी। जगन्नाथ की मृत्यु के उपरान्त भूमि उसके पुत्र रामस्वरूप (विक्रेता) के नाम नामान्तरण संख्या 556 से दर्ज रेकार्ड हुई। तथा नामान्तरण संख्या 575 से रामस्वरूप को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये थे। जिसके नोट पर्चा खतौनी भूप्रबन्ध विभाग में तथा खसरा बन्दोबस्त संवत 2021 के कालम नम्बर 26 में अंकित है। गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 66 रकबा 7-07 बीघा के नवीन बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 95 रकबा 0.60 हैक्टयर, ख.सं. 100 रकबा 0.60 हैक्टयर कायम हुये हैं। पर्चा खतौनी में प्रार्थी [illegible] हैक्टयर कुल किता 2 रकबा [illegible] नामान्तरण संख्या 9 के अतिरिक्त के पिता का नाम रामखिलौना सही दर्ज है [illegible] कालम नं. 24 में भी दर्ज किया गया है। खसरा [illegible] संवत 2036 [illegible] अधिकार का नोट अंकित [illegible] 2067 से 2070 के खाता [illegible] के खाता नम्बर 167 पर तथा जमाबंदी हाल [illegible] नाम अंकित नहीं किया गया [illegible] नम्बर 39 पर उसके नाम के आगे पिता का नाम अंकित नहीं [illegible] के पिता का नाम ~~"समाखिलाडी"~~ समाखिलौना "दर्ज" अतः हाल रेकार्ड में प्रार्थी ~~[illegible]~~ के पिता का नाम [illegible] कराया जावे।

क्रमशः : पृष्ठ-2 पर ----

उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:16:35 IST
Reason: SelfAttested

खाता का नाम दर्ज नहीं है इसलिये हाल आराजी खसरा नम्बर

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी के प्रतिनिधि हाल व गत खसरा नम्बरान के रकबा व रिकार्ड की प्रविष्टियों को उद्धरित करते हुए जवाब प्रस्तुत किया। लेकिन उन्होंने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने बाबत कोई अनुरोध अपने जवाब में प्रस्तुत नहीं की है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया तो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की रिकार्ड से प्रकृति: पुष्टि होती है। प्रार्थी ने भूमि का क्रय 12.1.76 को किया है। जिसका संवत 2032 होता है। तथा उससे पूर्व ही विक्रेता रामस्वरूप को खातेदार हक [illegible] नामान्तरण संख्या 575 से प्राप्त होना, जिसका कि नोट खातेदारीहक संवत 2029 पर है, से प्रकट होता है।

अतः आदेश है कि खसरा नम्बरान 95 व 100 रकबा क्रमशः 0.60, 0.60 हैक्टर किता 2 रकबा 1.20 हैक्टर पर रिकार्ड की वर्तमान प्रविष्टियों को यथावत रखते हुए प्रार्थी के पिता का नाम "~~रामकिशन~~" "रामखिलौना" अंकित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.8.2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
वैर [भरतपुर] राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:16:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner